

**BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT****HABIBGANJ, BHOPAL 462024**

AN ISO 9001 : 2015 Certified Organization

E-mail: engg.bsds@gmail.com

Phone 0755-2478250-53 Fax : 0755-2450896

क्र. 12 / भोसदुसं / परिवहन / 2023

दिनांक – 27.06.2023

निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल में वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा ट्रेवल्स एजेंसियों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है। निविदा प्रपत्र दिनांक 27.06.2023 से एम.पी. टेंडर की बेबसाइट से ऑनलाइन भरा जा सकता है। विस्तृत जानकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की बेबसाइट www.sanchibhopal.com पर उपलब्ध है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी केवल उक्त बेबसाइट पर ही प्रकाशित की जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे।

निविदा विवरण	धरोहर (ई.एम.डी.) राशि (रुपये)	निविदा फीस(रुपये)	निविदा जमा करने की अंतिम तिथी एवं समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथी एवं समय	वित्तीय निविदा खोलने की तिथी एवं समय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल में बोलेरो वाहन (कुल 02 नं) किराये पर लिये जाने हेतु निविदा ट्रेवल्स एजेंसियों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित बाबत्।	25,000/-	500/-	10.07.2023 03:00 PM	11.07.2023 03:00 PM	तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों को पृथक से सूचित किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

HABIBGANJ, BHOPAL 462024

AN ISO 9001: 2000 Certified Organization

E-mail: engg.bsds@gmail.com

Phone 0755-2478250 Fax: 0755-2450896

निविदा परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अ'

– वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शर्तें

परिशिष्ट 'ब'

– तकनीकी बिड़ (दस्तोवेज केवल ऑनलाइन जमा करें)

परिशिष्ट 'स'

– वित्तीय प्रपत्र (केवल ऑनलाइन दरें मान्य होंगी।)

परिशिष्ट 'द'

– चेक लिस्ट

निविदा खोले जाने का स्थान

– मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल।

व्यवहार हेतु पता

– मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल।

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शर्तें

1. वाहन का मॉडल 2021 या उससे नवीन का होकर वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए। 02 वर्ष से अधिक पुराना वाहन निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि 12 माह की होगी। उभयपक्ष की सहमति से उसे घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा।
2. उक्त वाहन मासिक किराये पर लिया जावेगा। वाहन की सुरक्षा की जवाबदारी निविदादाता की होगी।
3. किराये की अवधि में वाहन में डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी संबंधित निविदादाता की होगी।
4. ड्राईवर के वेतन भत्ते एंव अन्य व्यय वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन चालक को 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। स्टेपनी सहित चारों ट्यूब टायर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। वाहन का माईलोमीटर चालू हालत में होना चाहिए। वाहन में समस्त प्रकार के मरम्मत का व्यय वाहन प्रदाता वहन करेगा। साथ ही दिन प्रतिदिन वाहन सफाई की व्यवस्था करनी होगी।
6. वाहन के पेपर्स की फॉटोंकॉपी निविदा के साथ प्रस्तुत करें एंव वाहन प्रदाता को वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने होंगे।
7. वाहन के खिडकियों पर परदों की व्यवस्था (सफेद रंग), सीट कवर (सफेद रंग) एंव सुगंध हेतु परफ्यूम की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी। जो कि हमेशा साफ एंव स्वच्छ स्थिति में होने चाहिए वाहन के भीतर किसी भी प्रकार की गंदगी (कूड़ा—करकट, धूल—मिट्टी) नहीं होनी चाहिए।
8. वाहन चालक के अवकाश पर होने से दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।
9. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में हो, वाहन चालक अपराधिक चरित्र का व्यक्तित्व न हो। उसके पास कर्मशियल वाहन चालक का लाइसेंस हो। चालक को ड्राईविंग लाइसेंस हमेशा साथ में ही रखना होगा एंव वाहन के पेपर्स भी वाहन के साथ रखने होंगे। टैल टैक्स का भुगतान वाहन प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा। किसी भी प्रकार दुर्घटना पर वाहन का स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च वहन करेगा। यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
10. वाहन 24 घंटे सेवा में रहेगा। वाहन चालक भी सामान्यतः 12 घंटे कार्यरत रहेगा किन्तु आवश्यक होने पर 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए।

11. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का होगा। यह निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
12. वाहन का रजिस्ट्रेशन टेक्सी मद में होना चाहिए। यदि टेक्सी परमिट नहीं है तो अनुबंध दिनांक से 03 माह की अवधि में अनुबंधित वाहन का टेक्सी परमिट प्रेषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा वाहन का अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
13. वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन करवाना होगा।
14. वाहन प्रदाता स्वामी को मासिक किराये के भुगतान से नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर भुगतान किया जावेगा। संबंधित का पेन कार्ड आवश्यक है।
15. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल ही होगा।
16. वाहन का उपयोग शासकीय कार्य से भ्रमण के लिये किया जावेगा। वाहन 24 घंटे उपयोगकर्ता अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा।
17. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थानों पर भी वाहन ले जाया जा सकेगा। वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि वह उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करेगा।
18. वाहन प्रदाता को मॉग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मॉग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रतिभूति धरोहर (ई.एम.डी.) राशि राजसात की जा सकेगी।
19. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रतिदिन की गई यात्रा का प्रमाणिकरण लॉकबुक में कराना अनिवार्य होगा।
20. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं होगा।
21. निविदा स्वीकृति की स्थिति में वाहन प्रदाता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त मॉग अनुसार आदेशदाता अधिकारी के पास मय ड्राईवर के वाहन निर्धारित स्थान पर भेजना होगा।
22. दरें संलग्न नियत पत्रक में ऑन लाइन ही प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
23. निविदादाता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिये विभाग सेवा से वाहन ले जाये जाने पर भी की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।
24. वाहन के खराब एंव उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक रूप से उसी स्तर का वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व निविदादाता का होगा। अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि मासिक किराये का 1/30 प्रतिदिन के मान से काटी जावेगी।
25. 01 माह के नोटिस देकर वाहन सेवा का अनुबंध निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का रहेगा।
26. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों में न्यूनतम दर वाली प्राप्त निविदा को मान्य किया जावेगा।
27. निविदाकार के पास कम से कम दो वाहन स्वयं के होने आवश्यक है एंव उक्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन एंव बीमा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे।

28. वाहनों की किराया दर जी.एस.टी. अतिरिक्त के प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।
 29. दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार वाहन की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है।
 30. सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु. 1000/- नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर जो भोपाल से क्रय किया गया हो पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध का प्रारूप दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। स्टाम्प पेपर सफल निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराया जावेगा।
 31. प्रत्येक माह के देयकों का भुगतान वाहन उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापित लॉग बुक के आधार पर किया जावेगा। देयकों का सत्यापन उपयोगकर्ता अधिकारी से कराया जाना होगा। देयकों का भुगतान देयक प्रस्तुत करने के समय से 30 दिवस के भीतर किया जावेगा।
- 32. आर्बिट्रेशन**
- किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्यम विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीफ भोपाल को प्रकरण हेतु प्रस्तुत जा सकेगा।
 - निराकरण न होने की स्थिति में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
33. वाहन उपयोग उपरांत डेयरी परिसर में प्रशासन शाखा के समीप पार्क किया जावेगा। अन्यत्र नहीं।

परिशिष्ट 'ब'

तकनीकी बिड़ (दस्तोवेज केवल ऑनलाइन जमा करें)

1. निविदाकार का नाम
2. पिता का नाम
3. स्थायी पता
4. मोबाईल नं.
5. निविदाकार का पेन कार्ड नं. (छायाप्रति संलग्न करें)
6. आधार नं.(छायाप्रति संलग्न करें)
7. वाहन का मॉडल वर्ष
8. वाहन का क्रमांक
9. वाहन का रजिस्ट्रेशन का दिनांक
10. टैक्सी परमिट की वैधता(छायाप्रति संलग्न करें)
11. फीटनेश प्रमाण पत्र(छायाप्रति संलग्न करें)
12. रजिस्ट्रेशन व बीमा के कामजात की छायाप्रति संलग्न करे —.....

नोट:-

1. वाहन यदि टैक्सी परमिट में नहीं है तो अनुबंध दिनांक से 03 माह की अवधि में अनुबंधित वाहन का टैक्सी परमिट प्रेषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा वाहन का अनुबंध निरस्त करना होगा।
2. अभिलेखों की पठनीय स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियों ऑनलाइन संलग्न की जावें।
3. भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय में जमा नहीं किया जावेगा। वांछित दस्तावेज की छायाप्रतियों स्वयं के द्वारा प्रमाणित कर संलग्न की जावेगी।
4. दरें वित्तीय प्रपत्र में ऑनलाइन के माध्यम से भरी जावेगी।
5. कम से कम दो वाहनों का विवरण प्रस्तुत करें एवं सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति (स्कैन कॉपी) निविदा के साथ ऑनलाइन संलग्न करें।

परिशिष्ट 'स'

वित्तीय प्रपत्र (केवल ऑनलाइन दरें मान्य होगी।)

निविदाकार का नाम

क्र.	वाहन का प्रकार ए.सी. सहित	प्रति वाहन किराया (झायवर, टोल टैक्स, ईंधन एवं समस्त मेंटनेंस कार्य सहित)
1	बोलेरो (डीजल/अन्य) वाहन का रंग— सफेद	दर रुपये प्रति किलोमीटर में प्रस्तुत करें।

निविदाकार हस्ताक्षर

चेक लिस्टदस्तावेज केवल ऑनलाइन संलग्न करें

क्र.	दस्तावेज	ऑनलाइन संलग्न किया (हाँ अथवा नहीं)
1	निविदाकार का पेन कार्ड नं. (छायाप्रति संलग्न करें)	
2	निविदाकार का आधार नं.(छायाप्रति संलग्न करें)	
3	दोनों वाहन के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति	
4	दोनों वाहन के टैक्सी परमिट की वैधता संबंधित दस्तावेज (छायाप्रति संलग्न करें)	
5	दोनों वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र(छायाप्रति संलग्न करें)	
6	दोनों वाहन के बीमा की छायाप्रति संलग्न करें	
7	दोनों वाहन के टैक्सी परमिट न होने की स्थिति में अभिवचन प्रस्तुत करें कि “कार्य आवंटन होने की स्थिति में तीन माह के भीतर टैक्सी परमिट प्राप्त कर लिया जावेगा। अन्यथा की स्थिती में दुग्ध संघ जो भी निर्णय लेगा वह मान्य होगा”	
8	जी.एस.टी.एन. सर्टिफिकेट (यदि उपलब्ध हो)	